महत्वपूर्ण

संख्या– 5429 / 1–10–2007–12(34) / 03

प्रेषक,

उमेश सिन्हा,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ::दिनांक 20 दिसम्बर, 2007

विषयः– वर्ष 2007 में संभावित शीतलहर से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निःशुल्क कम्बलों का वितरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–5261 / 1–10–2007–12(34) / 03, दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि गृह विहीन / निराश्रित / असहाय व्यक्तियों के बचाव हेतु आवश्यकता के अनुरूप जरूरतमन्द लोगों के लिए क्रय किये गये कम्बलों का भुगतान पूर्व में ही वित्तीय वर्ष 2007–08 में आपदा राहत निधि से आवंटित एवं जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जाना है। जनपद स्तर पर पूर्व में आवंटित धनराशि उपलब्ध न होने की दशा में कोषागार नियम–27 से धनराशि का आहरण कर व्यय किया है।

3. उक्त मद के लिए अतिरिक्त धनावंटन नहीं किया गया है। अतः सामान्य बजट आवंटन की भाँति आपूर्तिकर्ता फर्म के कम्बल का भुगतान सामान्य बजट से तथा बजट न होने पर टी0आर0–27 से अग्रिम आहरित करेंगे। शासनादेश दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 में जिलो को अतिरिक्त आवंटन नहीं किया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश सिन्हा)
सचिव एवं राहत आयुक्त

–2–

संख्या–5429(1)/1–10–2007–12(34)/03, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा. राजस्व मंत्री ।
2. स्टाफ आफिसर, मंत्रिमण्डलीय सचिव ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव ।
4. महालेखाकार, (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
7. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ ।
8. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
10. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/राजस्व अनुभाग–6/11
11. गार्ड फाइल ।
12. ऋषि चोपड़ा आई.टी. सहायक यू.एन.डी.पी. को वेब साइट अपडेट करने हेतु।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
उप सचिव।

A.Alh-2007